न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज0)

श्रीमति छोटी देवी कोली **बनाम** श्री लादू गाडरी वगैराह

धारा 111–128 एल0आर0एक्ट

मुकदमा 203 / 2022

02.05.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीया अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो नम्बर से कम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर–203/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्रीमति छोटीदेवी पत्नी डालचन्द कोली निवासी सांगानेर कॉलोनी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।

– प्रार्थीयॉ

बनाम

श्री लादू पिता मोडा गाडरी निवासी कालसांस तहसील व जिला भीलवाडा।
श्री सोनाथ पिता मोडा गाडरी निवासी कालसांस तहसील व जिला भीलवाडा।
श्री देबी पुत्र अमरा बैरवा निवासी कालसांस तहसील व जिला भीलवाडा।
श्रीमति प्रेमदेवी पत्नी कृष्ण गोपाल पुरोहित निवासी कालसांस तहसील व जिला भीलवाडा।
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 2.05.2022

प्रार्थीयॉ द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0भू0राज0 धिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कालसांस प0ह0 रीछडा अ0नि0 महुआंकलां तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 1026 रकबा 012 हैक्टेयर, आ0नं0 1027 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, आ0नं0 1028/1 रकबा 0.3414 टेयर, आ0नं0 1029/1 रकबा 0.0379 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 0.5058 हैक्टेयर मे का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। र्थीया एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा बंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीया अपने खाते की कृषि भूमि की थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान या जावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीया अधिवक्ता की स सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। जमाबन्दी वत् 2071 से 2074 ग्राम कालसांस प0ह0 रीछडा भू0अ0नि0 महुआंकलां तहसील व जिला वाडा में स्थित आराजी नम्बर 1026 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, आ0नं0 1027 रकबा 0.0253 टेयर, आ0नं0 1028/1 रकबा 0.3414 हैक्टेयर, आ0नं0 1029/1 रकबा 0.0379 हैक्टेयर किता 04 कुल रकबा 0.5058 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस श से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते है न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसंर्गिक सिद्धान्त के आधार पर र्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएंव

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

फसल बुवाई एवं कटाई के ...

// आदेश //

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 111 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम कालसांस प0स0 रीछड़ा भू0अ0नि0 महुआंकलां तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 1026 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, आ0नं0 1027 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, आ0नं0 1028/1 रकबा 0.3414 हैक्टेयर, आ0नं0 1029/1 रकबा 0.0379 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 0.5058 हैक्टेयर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 100/-रूपये तहसीलदार भीलवाडा के यहॉं संबंधित मद में प्रार्थीया जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये **भू0अ0निरीक्षक महुआंकलां 500/-रूपये (पांच सौ रूपये)** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थीया मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीया की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थीया की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयो में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 महुआंकलां जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीया व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।

(ओम प्रभा)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

निर्णय आज दिनांक 02.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा